



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक २२ नवम्बर, २००८ ई० (अग्रहायण ०१, १९३० शक सम्वत्)

भाग १-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

अधिसूचना

०६ नवम्बर, २००८ ई०

संख्या एफ ९ (४)/आरजी/यूईआरसी/२००७/९८९-उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा १८१ (२००३ का अधिनियम ३६) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) विनियम, २००४, जो पत्रांक संख्या एफ ९(४)/आरजी/यूईआरसी/२००४/२५५, दिनांक २२ मई, २००४ द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

१. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

(१) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (प्रथम संशोधन) विनियम, २००८ कहलाएंगे।

(२) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

२. विनियम ६ में संशोधन-

विनियम ६ के वर्तमान उप विनियम (४) के पश्चात् निम्न परिभाषा उप विनियम (५) के रूप में जोड़ी गई है, अर्थात् :-

“(५) ऑम्बड्समैन के आदेशों का पालन न करने तथा इन विनियमों का उल्लंघन करने की दशा में आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा १४६ की उपधारा १४२ एवं १४६ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उचित कार्यवाही करेगा।”

आयोग की आज्ञा से,

पंकज प्रकाश,
सचिव।

ये विनियम अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तर है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिये अंग्रेजी विनियम अंतिम मान्य होंगे।